पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या – 249/2016/223 आर टी ए

1. विमला पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी उदराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

——अपीलांटा

बनाम

1. राम कुमार पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी उदराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राम सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति जाट निवासी उदराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रामेश्वर लाल
4. हेतराम
5. भीम सिंह
6. लिलुराम
7. सेवा सिंह

पिसरान नोरंग जाति नाई निवासीगण गांव उदराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

8. रोशनी
9. शान्ति
10. परमेश्वरी पत्नि मनीराम जाति जाट निवासी मेहराणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11. सुरेन्द्र कुमार
12. विजेन्द्र कुमार

पिसरान अमरसिंह जाति जाट निवासी उदराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

13. सन्तलाल
14. ओम प्रकाश
15. दारा सिंह

पिसरान अमरसिंह जाति जाट निवासी उदराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

16. धन्नाराम पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी उदराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
17. किस्तुरी बेवा रणसिंह जाति जाट निवासी उदराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
18. तारावती पत्नि मांगेराम जाति जाट निवासी दुमकी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
19. भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) शाखा छानीबड़ी जरिये प्रबंधक।
20. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा। ——रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण सं. 275/2012 अनवानी रामकुमार आदि बनाम रामेश्वर लाल आदि।

उपस्थित :–

श्री अधिवक्ता अपीलांट विजय कौशिक

श्री अधिवक्ता रेस्पो0 सं. हवासिंह रेस्पोडेण्ट संख्या 18

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या , 3, 11, स 16

श्री कुम्भकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय   दिनांकः–05.02.2019

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अर्जीदावा बाबत खाता तकशीम अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर रोही चक 1 ए एम एस के खाता सं0 66/22 के मु0 नं0 50 के किला नं0 16,24,25 की .759 हैक्टेयर, मु0 नं0 51 के किला नं0 14, 17 ता 24 की 2.277 हैक्टेयर, मु0 नं0 55 के किला नं0 1 ता 3 की .759 हैक्टेयर, किला नं0 4 की .178 हैक्टेयर, 7 की .202 हैक्टेयर, किला नं0 8 ता 13 की 1.518 हैक्टेयर, किला नं0 14 की .190 हैक्टेयर, किला नं0 17 की .190 हैक्टेयर, किला नं0 18 की .202 हैक्टेयर, किला नं0 19 की .202 हैक्टेयर, 20 की .202 हैक्टेयर, 21 की .190 हैक्टेयर, किला नं0 22 की .190 हैक्टेयर, किला नं0 23 की .190 हैक्टेयर, किला नं0 24 की .090 हैक्टेयर, मु0 नं0 56 के किला नं0 1 ता 15 की 3.795 हैक्टेयर, किला नं0 16 की .202 हैक्टेयर, किला नं0 17 की .202 हैक्टेयर, किला नं0 18 की .202 हैक्टेयर, किला नं0 19 की .202 हैक्टेयर, किला नं0 20 की .202 हैक्टेयर, किला नं0 24 की .253 हैक्टेयर, किला नं0 25 की .202 हैक्टेयर, मु0 नं0 57 के किला नं0 4 व 5 की .506 हैक्टेयर, कुल तादादी 13.105 हैक्टेयर (नहरी 12.579 हैक्टेयर, गैरमुमकिन खाला 0.376 हैक्टेयर, गैरमुमकिन रास्ता 0.150 हैक्टेयर,) खातेदारी कृषि भूमि में अपने हिस्सा अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं न्याऊ में से न्याऊ By meats & bounds के अनुसार जोत विभाजन कर अलग से माल व लगान कायम कर अपने हिस्सा की भूमि का अलग खाता कायम करने हेतु अनुतोष चाहा जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टा ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा पर बिना विधिवत नोटिस तामिल हुए उसके विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री जारी करने से पूर्व जारी नोटिस अदम तामिल लौटकर आने पर भी एक पक्षीय कार्यावाही अमल में लाते हुए अन्तिम विभाजन डिक्री पारित करने से पूर्व बिना कोई नोटिस जारी किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई एक पक्षीय पारित की है जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अपीलांटा की प्रश्नगत भूमि की सहकाश्तकार होने से प्रस्तुत वाद में अहम भूमिका है परंतु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया एवं विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार हल्का से प्राप्त करने हेतु वहां उपस्थित होने हेतू भी कोई नोटिस नहीं दिया। प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.04.13 में तहसीलदार हल्का भादरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जबकि तहसीलदार ने स्वयं मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया बल्कि पटवारी से तैयारशुदा विभाजन प्रस्ताव ही भेज दिया एवं इस हेतु कोई नोटिस भी अपीलांटा को जारी नहीं किया। अन्तिम डिक्री पक्षकारों की उपस्थिति के बिना तैयार नहीं की जा सकती। अपीलाधीन निर्णय के जरिये गलत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलांटा को तीन अलग–अलग मुरब्बों में कब्जा काश्त से हटकर अन्य जगह जमीन दी गई है जो कि कम उपजाउ एवं घटिया किस्म की है एवं मौका कमिश्नर की रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी, राजस्व मंडल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के विपरीत है। अधिवक्ता अपीलांटा ने अपनी बहस के पक्ष में RRT 2014(1) पेज 258, RRD 2000 पेज 170, RRD 1995 पेज 475, RRT 2017(1) पेज 689, CIVIL COURT CASES 2010(2) पेज 450 एवं RRT 2011(1) पेज 602 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई विधि सम्मत नहीं होने के कारण एवं ना ही विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अन्तिम डिक्री जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी की गई है वह सही एवं विधि पूर्वक है। अपीलांटा की तामिल विधिपूर्वक की गई है एवं उसके नोटिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है। तामिल के बाद भी उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2014 को एक तरफा कार्यावाही की गई। खाता विभाजन पर अपीलांटा ने कोई आपत्ति नहीं की अतः दिनांक 26.03.2015 को अंतिम डिक्री जारी की गई, जिसे अपीलांटा ने एक वर्ष से अधिक समय में अपास्त नहीं करवाया। अपीलांटा को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है, वह जान बुझकर बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। अपीलांटा ने यह नहीं बताया की उसके कब्जे की भूमि कौनसी है। अपीलांटा 4.439 हैक्टेयर की भूमि पर काबिज थी। जो भूमि अपीलांटा के कब्जा काश्त में थी वही भूमि विभाजन में अपीलांटा को दी गई। 26.03.2015 को तीन साल पूर्व विभाजन के बाद रेस्पो0 ने अपनी भूमि को विकसित किया है, अतः इस समय विभाजन को बदला नहीं जा सकता। विभाजन में 20 खातेदार है जिनमें से किसी को आपत्ति नहीं है, अपीलांटा ने मात्र परेशान करने के लिए अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांटा काबिल निरस्ती होने के कारण खारिज की जावे।

अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 18 ने अपने कथन में तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आपत्ति नहीं व्यक्त की। अपील मियाद बाहर है, इस समय विभाजन प्रस्ताव को बदला नहीं जा सकता है। अतः अपील अपीलांट काबिल निरस्ती होने के कारण खारिज की जावे।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायाधिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के अर्जीदावा पर दिनांक 26.3.2015 को प्रार्थमिक डिक्री पारित की है। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। अपील में अपीलाण्ट का यह कथन आया है कि विभाजन प्रस्ताव से पूर्व अपीलाण्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। प्रारम्भिक डिक्री में दिनांक 09.04.13 में तहसीलदार भादरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। किन्तु मौके पर पटवारी हल्का द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। मौके पर तहसीलदार/गिरदावर स्तर का कोई अधिकारी नहीं गया। यह भी कथन आया है कि अपीलाट को अलग अलग मुरब्बों में कम उपजाउ एवं घटिया भूमि दी गई है। नक्शा विभाजन के अनुसार अपीलांट को अलग अलग जगह भूमि दी गई है। जबकि अन्य को एक ही जगह भूमि दी गई है। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किया जाना अपेक्षित था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। आरआरटी 2014 (1) पेज 258 के अनुसार "जहां तक संभव हो प्रत्येक पक्षकार को सारी हलकी या सारी उत्तम कोटि की भूमि नही दी जायेगी। जहां तक सम्भव हो विद्यमान खेतों के टूकड़े नहीं किये जायेंगे। भूखंड जो किसी अभिधारी के अलग अलग कब्जे में हैं, यथासम्भव उनको उस अभिधारी का आवंटित किया जायेगा यदि उसके हिस्से से अधिक नहीं हो।" उक्त विवेचनानसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2015 खारिज किये जाता है। उपखण्ड अधिकारी भादरा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.03.2019 को उपस्थित हों।

9. निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

05/2/19

(मूल चन्द)आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official